!	2	3	4
31.	Daman & Diu	2	Neg.
32.	A & N	2	2
	All India	62186	19962

* Data relates to 1985-86.

Statement II

Release of Funds under the Special Scheme for Assistance to small and marginal Farmers.

(Rs. in crores)

S. No.	State/U.T.	Fund Released 1992-93	1993-94	Total Released
1.	Andhra Pradesh	39.89	13.91	53.80
2.	Karnataka	26.78	10.12	36.90
3.	Kerala	16.84	4.84	21.68
4.	Tamil Nadu	39.90	13.92	53.82
5.	Gujarat	15.79	4.87	20.66
6.	Madhya Pradesh	20.13	6.09	26.22
7.	Maharashtra	27.94	7.89	35.83
8.	Rajasthan	12.63	3.89	16.52
9.	Goa	0.58		0.58
10.	Haryana	10.64	3.31	13.95
11.	Punjab	19.67		19.67
12.	Uttar Pradesh	54.94	15.94	70.88
13.	Himachal Pradesh	1.97	0.28	2.25
14.	Jammu & Kashmir	3.35		3.35
15.	Bihar	19.24		19.24
16.	Orissa	7.73	2.09	9.82
17.	West Bengal	37.74	13.35	51.09
18.	Assam	3.01		3.01
19.	Tripura	1.06		1.06
20.	Manipur	0.45		0.45
21.	Meghalaya	0.42		0.42
22.	Nagaland	0.06	0.01	0.07
23.	Sikkim	0.19		0.19
24.	Arunachal Pradesh	0.06		0.06
25.	Mizoram	0.13		0.13
26.	Delhi	0.15		0.15
27.	Chandigarh	0.02		0.02
28.	Daman & Diu	0.04		0.04
29.	Pondicherry	0.55		0.55
30.	Dadra & Nagar Haveli	0.09		0.09
31.	Andaman & Nicobar Islands	0.07		0.07
	Total	362.06	100.51	462.57

New projects in FACT

982. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for the development of new projects in FACT;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the funds allocated for the development of such projects?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (c) As per the Industrial Policy Statement issued by the Government on 24th July, 1991, no industrial licence is required for setting up a fertilizer plant. However, public sector/cooperative units have to obtain Government's approval for incurring capital expenditure over and above their delegated financial powers.

M/s FACT are implementing a project for setting up a 900 TPD ammonia plant at Udyogamandal at an estimated cost of Rs. 618.43 crore. The project is scheduled to be commissioned by 31.03.1997.

M/s FACT have also submitted the following proposals for approval under the prescribed two stage clearance procedure:

Project	Capacity	Estimated Cost of the Project
1. Methanol Project	300TPD	Rs. 114.26 Crore
2. Sulphuric Acid Plant	900 TPD	Rs. 88.20 Crore

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की योजनाओं का

कार्यान्वयन

983. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा परती भूमि विकास हेतु किन-किन राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के पास कितनी परियोजनाएं प्रेषित की हैं;

(ग) इनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) शेष प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) उन राज्यों के नाम, जहां पर राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं संलग्न विवरण में दिये गये है । (नीचे देखिए) योजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) **समेकित बंजरभूमि विकास परिणेजना स्कीम :**

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तैयार की

जाती हैं और उन राज्य सरकारों के मार्फत अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास

बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है ।

(2) **अनुदान सहायता योजना :**

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वयं – सेवी एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती हैं

और राज्य सरकार के मार्फत ने भेज कर वित्त-पोषण हेतु बोर्ड को सीधे ही भेजा

जाता है ।

(3) **निवेश संबर्धन योजना :**

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की वित्त-पोषण हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा

मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात संवर्धनकर्ता द्वारा सिधे बोर्ड को भेजा जाता

है ।

(4) **प्रौद्योगिक विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना :**

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को संवर्धनकर्ता एजेंसियों द्वारा सीधे बोर्ड को

भेजा जाता है तथा राज्य सरकार के मार्फत भी ।

बंजरभूमि विकास कार्य दल :

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड द्वारा

संवर्धित किया जाता है ।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं:-

(1) मृदा एवं नमी संरक्षण

(2) पुनर्जीवित करना

(3) वृक्षारोपण

(4) चरागाह एवं चारा विकास

(5) विस्तार एवं संचार

(6) ईंधन लकडी बचाने के लिए उपाय ।

(ख) व (ग) बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने केन्द्र सरकार को 1.2.96 तक 263 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थी जिस्में से अब तक 138 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं ।

(घ) व (ड) जैसा कि भाग (ख) व (ग) के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 1.2.1996 तक 138 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं शेष 125 परियोजनाओं में से 51 परियोजनाएं राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों को लौटा दी गई हैं क्योंकि वे इन परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती थी 174 परियोजनाओं को विचार के लिए रखा गया है ये परियोजनाएं या तो प्रक्रिया के अंतर्गत है या राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण/सूचना के कारण लम्बित पडी है चूंकि 31.3.1995 तक अनुमोदित चालू समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के लिए 1995-96 की कुल निधि की आवश्यकता 128.32 करोड़ रुपए है और समेकित बंजभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 1995-96 के लिए वर्ष का बजट प्रावधान केवल 52.35 करोड़ रुपये है अतः बोर्ड द्वारा लम्बित परियोजनाओं को किसी निर्धारित समय-सीमा तक अनुमोदित कर पाना सम्भव नहीं होगा ।

विवरण

क्रमांक	योजनाओं के नाम	राज्यों के नाम
1.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम (स.ब.भू.परि.स0)	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तामिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली ।
2.	अनुदान सहायता योजना	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, राजस्थान, सिक्किम तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल ।

क्रमांक	योजनाओं के नाम	राज्यों के नाम
3.	निवेश संवर्धन योजना	तामिलनाडु ।
4.	प्रौद्योगिक विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना ।	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,मेद्यालय, उडीसा,पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली ।
5.	बंजर भूमि विकास कार्य दल	मध्य प्रदेश ।

Less production of grains and cereals in hilly regions

984. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the net per unit production of grains/B cereals in the hilly region of Uttar Pradesh is much less, compared to the plains;

(b) if so, whether Government have proposed/initiated any action plan to promote horticulture in the said area, if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to introduce any major development programme to promote horticulture through training & transfer of techonology in village: Bedgaon, Patti Maniyarsuen (Poorvi), Pauri Garhwal, so that the village can serve as a model village; and

(d) whether Government propose to involve any NGO, to promote horticulture in the said village, so as to make it self sufficient in the use and promotion of horticulture?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN) (a) Yes, Sir.

(b) The action plan to promote horticulture in the hilly region of the State include implementation of the Central Sector/Centrally Sponsored Schemes on development of fruits, vegetables, root & tuber crops, mushroom, medicinal & aromatic plants, spices, nutritional gardens and promotion of use of plastics for horticultural crops.

(c) Transfer of improved technology to fanners through training and demonstrations forms an integral part of the horticulture development schemes under implementation in the region.

(d) No such proposal is under consideration at present.

Welfare of Street Children in Andhra Pradesh

985. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any plans have been formulated for the welfare of street children in Andhra Pradesh during 1995-96;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the funds released for such programmes to Andhra Pradesh in 1995-96?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) The Central Scheme of Welfare of Street Children is being implemented in Andhra Pradesh since 1993-94. A Statement indicating the details of the grant-in-aid sanctioned to the voluntary organisations in Andhra Pradesh during 1995-96 is attached.

Statement

Grant-in-aid sanctioned to the voluntary organisations in Andhra Pradesh under the Scheme of Welfare of Street Children during 1995-96 (Upto 29.2.1996)

SIN	Name of Organisation	Amount Sanction. in (Rs
1)	(2)	(3)
	ANDHRA PRADESH HYDERABAD	
1.	Indian Council for Social Welfare, Red Hill, Inside Cancer Hospital Compound, Hyderabad, Andhra Pradesh.	3.57
2.	Society for Integrated Development in Urban and Rural Areas, 144/2 RT Vijay N Nagar Colony, Hyderabad, Andhra Pradesh.	3.33
3.	Urban and Rural Development Society, 8-6-758/4, Street No. 13, Himayat Nagar, Hyderabad, Andhra Pradesh	3.08